

राजस्थन कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या संख्या 2131 / 2012 / अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन-प्रथम, अलवर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एम.एल.फैशन कस्वायर  
अलवर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री रामकरण सिंह

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एस.के. जैन

अभिभाषक

निर्णय दिनांक २६.५.२०१५

अपलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 72/आरवैट/2011-12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 17.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देश पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने मय टीम दिनांक 29.01.2010 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वे किया गया। वयत सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर श्री जितेन्द्र गोयल, फर्म भागीदार मौजूद मिलें, उनकी उपस्थिति में सर्वेक्षण एवं बाद जांच पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत अपंजीकृत व्यवसायी है तथा उसके द्वारा दिनांक 19.09.2009 से 29.01.2010 तक की अवधि में अनुसूची iv की प्रविष्टि संख्या 16 में अंकित 4 प्रतिशत से कर योग्य माल textile made-ups (सेमी स्टिच्ड लेडिज सूट एवं लहंगा चुन्नी आदि) की बिक्री को करापवंचन की नियत से कर मुक्त माल घोषित किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी से उसकी बहियात के कुछ कम्प्यूटर प्रिन्ट्स लिये जाकर समस्त लेखा पुस्तकें जांच एवं सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 75 (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ट्रेडिंग एकाउन्ट्स की प्रति पेश की गई, जिसका मिलान वक्त सर्वेक्षण की गई जांच एवं सर्वेक्षण किये गये अंकेक्षण से किये जाने पर अनियमतता पायी गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त सर्वेक्षण सेमी स्टिच्ड लेडिज सूट एवं लहंगा चुन्नी की बिक्री को कर योग्य माल एवं कर मुक्त माल के आनुपातिक आधार पर किया जाकर आलोच्य अवधि में सेमी स्टिच्ड लेडिज सूट एवं लहंगा चुन्नी की रु.

रु. 4,65,090/- की कर योग्य बिक्री निर्धारित की गई तथा व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में जानबूझकर कर योग्य माल का कर मुक्त विक्रय किया जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में अधिनियम की धारा 25,55, 56 एवं 61 के अधीन अभियोग प्रस्तावित करते हुए उपायुक्त(प्रशासन)अलवर के आदेश क्रमांक 4883 दिनांक 27.04.2011 की पालना में अभियोग पत्रावली सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित की गई।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किये जाने के उपरान्त आलोच्य अवधि के लिए अधिनियम की धारा 25,55, 56 एवं 61 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में किसी के भी उपस्थित नहीं होने पर 25,55, 56 एवं 61 के अन्तर्गत दिनांक 20.05.2011 को आदेश पारित किया जाकर कर योग्य माल( सेमी स्टिच्च लेडिज सूट एवं लहंगा चुन्नी) कीमतन रु. 4,65,090/- की कर मुक्त बिक्री किये जाने के कारण 4 प्रतिशत से कर रु. 18,604/- व ब्याज रु. 3,163/- आरोपित करने के साथ ही साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रु. 37,208/- व पंजीयन दायित्व होने के बावजूद प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पंजीयन नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत शास्ति रु. 1000/-आरोपित करते हुए कुल रु 59,975/-की मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर ब्याज एवं पंजीयन के सम्बन्ध में सृजित की गई मांग को यथावत रखते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 37,208/-को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य वर्ष में कर योग्य माल सेमी स्टिच्च लेडिज सूट एवं लहंगा चुन्नी आदि को अनस्टिच्च गारमेण्ट्स मानकर इसकी कर मुक्त बिक्री की गई है जबकि उक्त माल कर योग्य था, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन किया जाना प्रमाणित है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रु. 37,208/-आरोपित की थी, जिसको विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को बहाल करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान प्रत्यर्थी के अभिभाषक द्वारा कथन किया कि आलोच्य अवधि की खरीद बिक्री के समस्त संव्यवहारों को अपने नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है तथा आलोच्य अवधि की खरीद बिक्री के किसी भी संव्यवहार को उसके

द्वारा अपने नियमित लेखा पुस्तकों से छिपाया नहीं गया है। उनका कथन है इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 में दिये गये निर्णय के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 37,208/- को अपास्त किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के रेकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान समस्त खरीद बिक्री का सम्पूर्ण इन्द्राज अपनी नियमित लेखा-पुस्तकों में किया हुआ है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किसी भी संव्याहार को छुपाया जाना बहियात से छिपाया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य व अन्य से सम्बन्धित न्यायिक दृष्टान्त (2000) 11 एस.सी.सी. 687 में यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवहारी के टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किये गये माल की खरीद/बिक्री का इन्द्राज उसकी बहियों में होने की स्थिति में उसके विरुद्ध करापवंचन मानकर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय के अभिनिर्णय का संबंधित पैरा इस प्रकार है :—

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are no included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति अपास्त किये जाने में किसी प्रकार अविधिकता नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2012 की, अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर पुष्टि की जाकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)  
सदस्य